राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.5(5)वित्त/बीमा/2020 पार्ट–II

जयपुर, दिनांक **20.07.2021**

स्पष्टीकरण–आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2021 द्वारा **राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस)** की अंशदान कटौती दरें निर्धारित की गयी हैं।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि:–

1. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं न्यायिक सेवा के अधिकारियों, जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 के पश्चात हुई है, को राज मेडिक्लेम पॉलिसी जारी नही की जाती है बल्कि ये अधिकारी अपने संबंधित चिकित्सा परिचर्या नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हैं और इनसे आरपीएमएफ के अंशदान की राशि प्राप्त की जाती है। अतः उक्त अधिकारियों के संबंध में समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2021 के कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित दर ही लागू होगी, अर्थात जो पूर्व में आरपीएमएफ के अन्तर्गत कटौती थी, वही अब आरजीएचएस लागू होने से आरजीएचएस फण्ड के अन्तर्गत की जायेगी।

2. परिवीक्षाधीन कार्मिकों के संबंध में GPF और State Insurance की कोई कटौती नहीं होती है। परिवीक्षा काल पूर्ण होने के उपरान्त ही कटौती की जाती है, परन्तु परिवीक्षाधीन अवधि में राज मेडिक्लेम की सुविधा देय है। अतः आदेश दिनांक 07.07.2021 में दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के अनुसार आरजीएचएस फण्ड के अन्तर्गत कटौती की जानी है। इस हेतु परिवीक्षाधीन कार्मिक जिस पद पर नियुक्त हुए हैं, उस पद की पे–मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित स्लेब में, जो कि दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों पर लागू है, उक्त आदेश के नोट संख्या 2 का विकल्प देते हुए कटौती की जानी है।

समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2021 में उल्लेख़ित वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम संख्या एफ 1 (4) वित्त/नियम/2021 की दिनांक **15.04.2020 को दिनांक 15.04.2021 पढ़ा जावे।**

यह स्पष्टीकरण वित्त (नियम) विभाग से बारकोड़ संख्या 322100247 दिनांक 19.07.2021 पर प्राप्त परामर्श के अनुसरण में जारी किया जाता है।

20/7/20
(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

F.5 (5) 20

कृ.पृ.उ.